



# आरत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593।

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्रहायण 18, 1935

No. 593।

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 769(अ).—केंद्रीय सरकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम घनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से कार्यस्थल पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) अभिप्रेत है;

(ख) "शिकायत" से धारा 9 के अधीन की गई शिकायत अभिप्रेत है;

(ग) "शिकायत समिति" से आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति अभिप्रेत है;

(घ) "घटना" से धारा 2 के खंड (३) में यथा—परिभाषित लैंगिक उत्पीड़न की घटना अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(च) "विशेष शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विशेष जरूरतों वाले लोगों के साथ ऐसे ढंग से संचार करने के लिए प्रशिक्षित है, जिससे उनके व्यक्तिगत मतभेदों एवं आवश्यकताओं का समाधान होता है;

(छ) यहां शब्द और पद जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, उनके अर्थ वही होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते :

(1) गैर-सरकारी संगठनों में नियुक्त सदस्य, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 रुपये के भत्ते के हकदार होंगे, और उक्त सदस्य रेलगाड़ी से थ्री टायर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि, जो भी, कम हो प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

(2) नियोक्ता उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा।

4. लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिवर्त व्यक्ति : धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिवर्त व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा इसमें निम्नलिखित में से कोई समिलित हो सकेगा—
- (क) समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तीकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक स्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता है;
  - (ख) ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त है।
5. स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ता :
- (1) स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) के भत्ते के लिए हकदार होंगे।
  - (2) धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न स्थानीय समिति के सदस्य, उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सौ रुपये के भत्ते के हकदार होंगे और रेलगाड़ी से श्री टायर वातानुकूलन, वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्षा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वार्षिक लागत जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।
  - (3) जिला अधिकारी, उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट भल्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा।
6. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत : धारा 9 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए,
- (i) जहां व्यक्ति महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है—
    - (क) उसका नातेदार या मित्र; अथवा;
    - (ख) उसका सहकर्मी; या
    - (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या
    - (घ) व्यक्ति महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है।
  - (ii) जहां व्यक्ति महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है—
    - (क) उसका नातेदार या मित्र; अथवा
    - (ख) कोई विशेष शिक्षक; या
    - (ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा
    - (घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है; अथवा
    - (ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता-प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है।
  - (iii) जहां व्यक्ति महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।
  - (iv) जहां व्यक्ति महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेगी।
7. शिकायत की जांच का ढंग—
- (1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंद्धों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।
  - (2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यक्ति महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।
  - (3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।
  - (4) शिकायत समिति नैसर्जिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।
  - (5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी पर्याप्त कारण के बिना यथारिति अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा आयोजित लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपरिस्थित रहता है या रहती है :